चेकों / लिखतों की उगाही के लिए नीति

1. प्रस्तावना

भुगतान और निपटान सिस्टम में तकनीकी प्रगति और अनेक बैंकों द्वारा परिचालनात्मक सिस्टमों और कार्यप्रणालियों में लाए गए गुणात्मक परिवर्तनों के दृष्टिगत, भारतीय रिजर्व बैंक ने, वाणिज्यिक बैंकों को पूर्व में जारी निम्न विषयक अनुदेशों को 1 नवंबर 2004 के प्रभाव से रद्द किया : (i) स्थानीय / बाहरी चेकों पर तुरन्त जमा (ii) स्थानीय / बाहरी लिखतों के उगाही के लिए समय मानदण्ड (iii) विलंबित उगाही के लिए ब्याज का भुगतान. इन अनिवार्य मार्गनिर्देशों के रद्द हो जाने से यह अपेक्षित था कि बाजार के प्रतियोगी चेकों और अन्य लिखतों के उगाही में अपनी कार्यक्षमता बढाएं. हमारे बैंक की यह उगाही नीति हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और कार्यनिष्पादन के लिए उंचे मानक निर्धारित करने की दिशा में हमारे निरंतर प्रयासों का प्रतिबिंब कही जा सकती है.

2. प्रयोजन / उद्देश्य

इस नीति का सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है बैंक के ग्राहकों के लिए चेकों और अन्य लिखतों की उगाही के लिए सामान्य ढांचा स्थापित करना, इन मानदण्डों का अनुपालन और विलंब की स्थिति में ग्राहको क्षतिपूर्ति का प्रावधान.

यह नीति ग्राहकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता और भलाई के सिध्दांतों पर आधारित है. अपने ग्राहकों को अविलंब उगाही सेवा प्रदान करने हेतु टेक्नॉलॉजी का अधिकाधिक उपयोग करने के प्रति बैंक प्रतिबध्द है.

3. विस्तार / समावेश

नीतिगत दस्तावेज में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं :

- भारत में और विदेश में स्थानीय रूप से देय चेकों और अन्य लिखतों के उगाही .
- लिखतों के उगाही के लिए समय मानदण्डों के विषय में हमारी प्रतिबध्दता.
- बाहरी लिखतों की राशि के संग्रहण के लिए जहां बैंक समय मानदण्डों के अनुसार नहीं कर पाता, वहां ब्याज के भुगतान की नीति.
- यातायात में खोए उगाही लिखतों के विषय में कार्यवाही की नीति.

4. उगाही की व्यवस्था :

<u>समूचे कारोबारी समय के दौरान शाखाएं उगाही / समाशोधन के लिए चेक स्वीकार किए जाएंगे.</u>

4.1 स्थानीय चेक

स्थानीय रूप से देय सभी चेक और परक्राम्य लिखतों को उस केन्द्र में मौजूद समाशोधन व्यवस्था के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा. शाखा के काउंटर पर और शाखा के भीतर रखे गए उगाही बॉक्स में विनिर्धारित समय तक जमा कराए गए चेकों को उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा. शाखा परिसर के बाहर तथा ऑफ साइट एटीएम में रखे गए कलेक्शन बॉक्सेस में विनिर्धारित समय के बाद जमा कराए गए चेकों को अगली समाशोधन साइकिल में प्रस्तुत किया जाएगा. नीति के तौर पर, जिस दिन क्लियरिंग सेटलमेंट होता है उसी दिन बैंक ग्राहक के खाते में क्रेडिट देगा. इस प्रकार दिए गए क्रेडिट के पेटे, संबंधित केन्द्र के क्लियरिंग हाउस की चेक रिटर्न समय के अनुसार आहरण की अनुमति दी जाएगी. जहां लागू हो, ग्राहकों को हाई वैल्यू क्लियरिंग (उसी दिन क्रेडिट) सुविधा दी जाएगी.

उसी दिन के क्लियरिंग में चेक भेजने के लिए चेक स्वीकृति की समय सीमा संबंधित शाखा के परिसर में प्रदर्शित की जाएगी. ऑफ साइट एटीएम के ड्रॉप बॉक्सेस से चेक संग्रहण की समय सीमा ड्राप बॉक्स पर ही लिखी जाएगी. तदनुसार, हाई वैल्यू क्लियरिंग और आयकर इत्यादि जैसे सरकारी लेखों में भुगतान हेतु स्वीकृति की समय सीमा भी शाखा में प्रदर्शित की जाएगी.

जहां किसी क्लियरिंग हाउस की मौजूदगी नहीं है ऐसे केन्द्रों में स्थित बैंक शाखाएं स्थानीय चेक अदाकर्ता बैंक को काउंटर पर प्रस्तुत करेंगी और इनकी राशि को शीघ्रातिशीघ्र क्रेडिट करने के लिए बैंक प्रयास करेंगे.

<u>सीबीएस शाखाओं पर आहरित स्थानीय चेकों को उसी दिन ग्राहक के खाते में क्रेडिट किए जाएं.</u>

4.2 <u>बाहरी चेकः</u>

बाहरी केन्द्रों पर स्थित अन्य बैंकों पर आहरित चेकों की उगाही सामान्यतः उन केन्द्रों पर स्थित अपनी शाखाओं के माध्यम से की जायेगी. जहा बैंक की अपनी शाखा नहीं है वहां लिखत को अदाता बैंक पर सीधे ही अथवा प्रतिनिधि बैंक के माध्यम से उगाही के लिए भेजा जायेगा. बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जा रही राष्ट्रीय समाशोधन सेवा का उपयोग करेगा जिन केन्द्रों पर यह सेवा उपलब्ध हैं.

बाहरी केन्द्रों पर बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित चेकों की उगाही अंतर शाखा व्यवस्था के माध्यम से की जायेगी. हमारे बैंक की सीबीएस शाखाओं और अन्य बैंकों की सीबीएस शाखाओं पर आहरित बाहरी चेकों की उगाही निम्नानुसार की जायेगी.

i <u>बैंक की अपनी कोर बैंकिंग सक्षम शाखाओं पर आहरित चेक</u>

शाखाएँ जो केन्द्रीकृत प्रक्रिया व्यवस्था के साथ जुड़ी हैं तथा जो अपने ग्राहकों को कहीं भी बैंकिंग सेवाएं दे रही है, वे ऐसे बाहरी चेकों के संबंध में, जो अपनी सीबीएस शाखाओं के नेट वर्क पर आहरित हैं, बैंक अपने ग्राहकों को उसी दिन जमा देंगी.

ii अन्य बैंकों की शाखाओं पर आहरित बाहरी चेक

ग्राहकों द्वारा समाशोधन हेतु अन्य बैंकों के एमसीसी-सीबीएस चेकों को समाशोधन की समयावधि के अनुरूप समाशोधन में प्रस्तुत किया जायेगा. जिस बैंक पर चेक आहरित है उस बैंक विशेष की शाखा यदि उसी केन्द्र पर है, तो ग्राहक के खाते में राशि उसी दिन जमा कर दी जायेगी जिस दिन समाशोधन गृह हमारे बैंकर्स खाते में जमा देता है.

4.3 विदेशों में देय चेक :

"बैंक अपने ग्राहकों को यथाशीघ्र राशि जमा देने का प्रयास करेगा. लिखतों की उगाही और वापसी के समय मानदंड जो हर देश में तथा अलग अलग स्थानों पर, जहां 'कूलिंग अवधि' निर्धारित की गई है, भिन्न भिन्न होते हैं. भुगतान की तारीख की गणना नोस्त्रों खातें में कल्पित तारीख से एक सप्ताह की अवधि जोडकर तय की जाती है. तथा इस अवधि में उस देश में निर्धारित कूलिंग अवधि को जोड़ा जाता है. अर्थात आहरित लिखत के लिए कूलिंग अवधि

- न्यूयार्क यूएसए - 6 कार्य दिवस
- यूएसए के अन्य केन्द्रों पर 15 कार्य दिवस
- लंदन यूके में 5 कार्य दिवस
- यू के के अन्य केन्द्रों पर 15 कार्य दिवस.

तथापि विदेशों पर आहरित देय चेकों में राशि जमा करने की अधिकतम अवधि 25 दिन है. या 1 कैलेन्डर माह दोनों में जो अधिक हो (इन देशों में अवकाशों के अधीन)".

लिखत को क्रय करते हुए उगाही के पूर्व अपफ्रन्ट जमा देने के लिए बैंक विचार कर सकते है, यदि खाते का पिछली अवधि में परिचालन संतोषजनक रहा हो. परंतु यह प्रभार और बैंक के पूर्ण विवेक के अधीन है. विकल्प के तौर पर ग्राहक हमारे बैंक के कुछ प्रतिनिधि बैंकों द्वारा दी जाने वाली अंतिम क्रेडिट सेवा का उपयोग फीस चुकाकर ले सकते हैं, जो कुछेक शर्तो के अधीन रिटर्न फ्री जमा देते हैं.

भारत के बाहर स्थित अन्य बैंकों / हमारी शाखाओं पर चेकों / लिखतों की उगाही ग्राहक की जोखिम व जिम्मेदारी पर की जाएगी, जिसके लिए शाखाएं ग्राहक से क्षतिपूर्ति का पत्र प्राप्त करें.

4.4 स्थानीय/ बाहरी/ लिखतों को तत्काल जमा देना

बैंक की शाखाएँ / एक्सटेंशन काउंटर वैयक्तिक खाताधारकों द्वारा प्रस्तुत बाहरी चेकों/लिखतों पर तत्काल जमा देने पर विचार कर सकते हैं बशर्ते कि उसकी समग्र राशि 20000/- से अधिक नहीं हों तथा खाते का परिचालन पिछले छः माह में संतोषजनक हो. इस प्रकार के उगाही लिखतों पर तत्काल जमा ग्राहक के लिखित अनुरोध पर पूर्ण व्यवस्था के अनुसार दिया जायेगा. तत्काल क्रेडिट की सुविधा स्थानीय चेकों के विषय में, जहां औपचारिक समाशोधन गृह कार्यरत नहीं है, वहां भी उपलब्ध कराई जाएगी.

तत्काल जमा सुविधा स्थानीय चेकों के मामले में भी दी जायेगी, जहां कोई औपचारिक समाशोधन गृह मौजूद नहीं है.

तत्काल जमा की सुविधा ग्राहकों के बचत खाता/ चालू / कैश क्रेडिट खातों में दी जायेगी. यह सुविधा देने के लिए खाते में कम से कम राशि रखने का कोई अलग से निर्धारण नहीं किया जायेगा.

बैंक ने इस कार्य के लिए एक विशेष जमा पर्ची (फार्म सं 291) तैयार की है जिसमें यह सुविधा चाहने वाले ग्राहकों को इस पर्ची को विधिवित भरकर हस्ताक्षर के साथ चेक प्रस्तुत करना होगा.

इस नीति के अधीन, ब्याज पत्रों/ लाभांश पत्रों को चेकों के समान माना जायेगा.

जिन चेकों के सामने तत्काल जमा दी गयी है उनके अस्वीकार किए जाने के मामले में, बैंक ने जितने दिन के लिए निधियां उपलब्ध करायी है उतने दिन के लिए वैयक्तिक ग्राहकों की ओवरड्राफट लिमिट पर निर्धारित ब्याज दर से ब्याज वसूल किया जायेगा.

इस नीति के अंतर्गत खाते के संतोषजनक परिचालन का तात्पर्य है

क) खाता कम से कम 6 माह पहले केवायसी मानदंडों को पूरा करते हुए खोला गया हो.

ख) खाते का परिचालन संतोषजनक हो और लेनदेन में कोई विसंगति ध्यान में न आयी हो.

ग) खाते में तत्काल जमा दिया गया कोई चेक वित्तीय कारणों से वापस न आया हो.

घ) ऐसा खाता जिसमें तत्काल जमा दी गयी राशि के पेटे अस्वीकृत चेक की राशि की वसूली में बैंक को कोई परेशानी महसूस न हुयी हो.

बैंक वसूली के लिए प्रस्तुत किये गये बाहरी लिखत के पेटे तत्काल जमा देते समय सामान्य उगाही प्रभार एवं जेबी खर्चो की वसूली करेगा. चेक खरीदने के लिए लागू विनिमय प्रभार नहीं लगाये जायेंगे.

शाखाएँ बाहरी चेकों की तत्काल जमा योजना का सार उनके नोटिस बोर्ड पर ग्राहकों की जानकारी हेतु प्रदर्शित करेगी इसे बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा.

ग्राहकों को बाहरी चेकों के पेटे रु20000/- तक तत्काल जमा देने के अलावा निम्नलिखित खातों में विस्तारित तत्काल जमा राशि की सुविधा उपलब्ध है.

बड़ौदा प्रीमियम चालू खाता	रु. 50,000/-
बड़ौदा प्रीविलेज चालू खाता	रु. 1,50,000/-
बड़ौदा शताब्दी बचत बैंक खाता	रु. 25,000/-
बड़ौदा शुभ बचत खाता	रु. 25,000/-

शाखाएं पूर्वदत्त लिखतों, और सरकारी उपक्रमों, प्रतिष्ठित कंपनियों, के द्वारा जारी लिखतों के पेटे उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के बाद उंची राशि को तत्काल जमा देने पर विचार कर सकती है.

4.5 स्थानीय/ बाहरी चेकों की खरीद

बैंक अपने विवेक से, उगाही के लिए प्रस्तुत चेकों को ग्राहक के अनुरोध एवं पूर्ण व्यवस्था के आधार पर विचार कर सकता है. खाते के संतोषजनक परिचालन के अलावा, चेक के आहर्ता की हैसियत, को चेक की खरीद करते समय में ध्यान में लिया जाना चाहिए.

5. स्थानीय/ बाहरी चेकों / लिखतों की वसूली की समय-सीमा

स्थानीय चेकों के लिए जिन्हें समाशोधन में प्रस्तुत किया गया है. उनके पेटे जमा समाशोधन में निधियों के निबटान की तारीख को किया जायेगा तथा खाताधारक को चलन में वापसी समाशोधन पर निधियों के आहरण की अनुमति दी जायेगी.

चेक/लिखतों को जिन्हें हा वैल्यू समाशोधन में (कम से कम 1 लाख रुपये मूल्य के) प्रस्तुत किया गया है उनकी राशि उसी दिन जमा की जायेगी (उंचे मूल्य/ उसी दिन समाशोधन के द्वारा कवर क्षेत्रों के लिए लागू)

देश के भीतर केन्द्रों पर उगाही के लिए भेजे गये चेकों, अन्य लिखतों के लिए निम्नलिखित समय मानदंड लागू होंगे.

क) चार बड़े महानगरों में किसी भी केन्द्र पर प्रस्तुत चेक (नई दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चैन्ने) जो अन्य तीन में से किसी भी अन्य केन्द्र पर देय हो : अधिकतम 7 दिन.

ख) मेट्रो केन्द्र एवं राज्यों की राजधानियां, (पूर्वोतर एवं सिकिम्म के अलावा) : अधिकतम 10 दिन.

ग) अन्य सभी केन्द्रों पर : अधिकतम 14 दिन

घ) **विदेशी मुल्कों पर आहरित चेक :** जमा देने के लिए अधिकतम अवधि 25 कार्य दिवस या 1 कैलेन्डर माह जो भी अधिक हो (उन देशों में छुट्टियों के अधीन)

उपरोक्त समय सीमा इस बात का भेदभाव किये बिना लागू है कि चेक बैंक की अपनी शाखाओं पर लागू है या अन्य बैंक की शाखाओं पर.

<u>अस्वीकृत लिखतों को ग्राहकों को 24 घंटे के अंदर वापस/ लौटा दिया जायेगा.</u>

6. भारत के भीतर उगाही के लिए भेजे गये बाहरी चेकों पर विलम्बित अवधि हेतु ब्याज का भुगतान

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के भाग के रूप में, बैंक उगाही लिखतों की राशि के ऊपर ग्राहकों को उपर उल्लिखित समय सीमा से अधिक अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा. इस प्रकार के ब्याज का भुगतान ग्राहकों को सभी प्रकार के खातों में बिना मांग के किया जायेगा. इसमें बैंक की अपनी शाखाओं पर आहरित लिखतों अथवा अन्य बैंकों की शाखाओं पर आहरित लिखतों में ब्याज भुगतान हेतु कोई अंतर नहीं किया जायेगा.

निम्नलिखित दरों से ब्याज का भुगतान किया जायेगा.

(क) 7/10 दिनों से अधिक विलंब की अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, बाहरी चेकों के मामले में 14 दिनों तक, बचत बैंक की दर से.

(ख) जहां विलंब 14 दिन से अधिक 90 दिनों तक है. वहां देय ब्याज उस अवधि के लिए लागू मियादी जमा ब्याज दर से किया जायेगा.

(ग) असाधारण विलंब के मामले में अर्थात 90 दिनों से अधिक विलंब के लिए, संबंधित अवधि की सावधि जमा पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक ब्याज दर से.

(घ) ऐसे मामले में जहां चेक की राशि ग्राहक के ओवर ड्राफट/ ऋण खातों में जमा की जानी हो वहां ऋण खाते पर लागू दर से ब्याज दिया जायेगा. असाधारण विलंब के लिए ऋण खाते पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक दर से ब्याज दिया जायेगा.

<u>यह नोट किया जाये कि ऊपर दिये गये ब्याज का भुगतान देश के भीतर उगाही हेतु भेजी गई लिखतों पर लागू होगा.</u>

7. विदेश में उगाही के लिए भेजे गये बाहरी चेकों की विलम्बित उगाही की स्थिति में ब्याज का भुगतान

बैंक अपने ग्राहकों को विदेशों में उगाही के लिए भेजी गई बाहरी लिखतों पर, जहां निम्न समय सीमा में क्रेडिट नहीं दिया गया हो, ब्याज का भुगतान करेगा :

अ) अमरीकी डॉलर 5,000 तक के प्रेषणों के मामले में, जब विदेश से प्रेषण एडवाइस प्राप्त होने की तारीख से -10- दिनों के भीतर (पुष्टीकृत विनिमय दर से मुद्रा परिवर्तन से संबद्ध संव्यवहारों को छोडकर अन्य मामलों में शनिवार को कार्यदिवस समझा जाएगा.)

या

आ) अमरीकी डॉलर 5,000 से अधिक प्रेषणों के विषय में क्रेडिट एडवाइस प्राप्त होने की तारीख से -3- कार्यदिवसों के भीतर (शनिवार को कार्यदिवस माना जाए) लाभार्थी को सूचना नहीं भेजी गई.

पुष्टीकृत विनिमय दर से मुद्रा परिवर्तन से संबद्ध संव्यवहारों को छोडकर अन्य मामलों में शनिवार को कार्यदिवस समझा जाएगा .

विलम्बित उगाही के लिए ब्याज निम्नलिखित दर से देय होगा.

उपरोक्त मद क्र. अ और आ के मामले में विलंब की अवधि के लिए बचत खाते पर लागू दर से 2% अधिक ब्याज दिया जाएगा.

ग्राहक को विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तन की वजह से यानी विनिमय दर में अंतर की वजह से हुई क्षति, यदि कोई है, की भी पूर्ति की जाएगी. यह अंतर यानी विदेशी मुद्रा को वास्तविक रूप में जिस दर से भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया और मद क्र. अ और आ के अनुसार भुगतान की अंतिम नियत तारीख पर देय विनिमय दर के बीच होनेवाला अंतर

8. **चेकों / लिखतों का प्रेषण / समाशोधन प्रक्रिया अथवा अदाकर्ता बैंक की शाखा में खो जाना.**

ऐसे मामले में जहां उगाही के लिए स्वीकृत लिखत प्रेषण के दौरान अथवा समाशोधन प्रक्रिया में अथवा अदाकर्ता बैंक शाखा में खो जाता है, वहां बैंक को जानकारी मिलने के तत्काल बाद, बैंक तत्काल इसे खाताधारक के ध्यान में लायेगा ताकि खाताधारक रिकार्ड पर आहर्ता को "भुगतान रोकें" निर्देश देने हेतु सूचित कर सके और रिकार्ड कर सकें और यदि उसके द्वारा कोई चेक जारी किया गया हो, तो वे उक्त चेक के गुम होने की वजह से राशि जमा न हाने के कारण अस्वीकृत न हो जाये, इसलिए बैंक सावधानी लेगा. बैंक ग्राहक को आहर्ता के डुप्लीकेट प्राप्त करने में सभी प्रकार की सहायता करेगा.

बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार प्रेषण के दौरान खो गई लिखतों के संबंध में बैंक निम्नलिखित प्रकार से क्षतिपूर्ति करेगा.

क) ऐसे मामले में जहां लिखत के गुम होने की सूचना ग्राहक को उगाही हेतु निर्धारित अवधि (7/10/14 दिन जैसा मामला हो) के बाद दी जाती है. तब ब्याज का भुगतान ऊपर निर्धारित दरों से निर्धारित अवधि से अधिक अवधि के लिए करेगा.

ख) अलावा इसके, बैंक डुप्लीकेट चेक प्राप्त करने एवं उसके उगाही में लगने वाली अवधि को ध्यान में लेते हुए हेतु 15 दिनों की अवधि के लिए बचत बैंक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

ग) बैंक ग्राहक को डुप्लीकेट चेक / लिखत पर प्राप्त करने में खर्च की गयी किसी औचित्यपूर्ण राशि का भुगतान रसीद प्रस्तुत करने पर करेगा, यदि लिखत को जिस बैंक / संस्थान से प्राप्त किया जाना है वह डुप्लीकेट जारी करने के लिए प्रभार लेता है. अदाकर्ता बैंक के पास ग्राहक द्वारा भुगतान रोको अनुदेश दर्ज कराने के लिए ग्राहक द्वारा खर्च की गयी राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जायेगा.

घ) ऐसे मामलों में जहां चेक भुनाने के बाद खो जाता है . बैंक 15 दिन की अवधि के लिए ब्याज प्रभारित नहीं करेगा . जब इसे चेक के खोने की सूचना प्राप्त होती है. इससे ग्राहक को आहर्ता से डुप्लीकेट लिखत प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जायेगा. यदि ऋण कर्ता 15 दिनों की अवधि के बाद भी खाते का परिसमापन नहीं कर पाता है तब करारगत दर से ब्याज की वसूली की जायेगी जब तक की अग्रिम की पूरी राशि पूरी तरह भुगतान नहीं कर दी जाती है.

7. **अप्रत्याशित स्थिति (फोर्स मजुरे)**

किसी अप्रत्याशित घटना (उदा. के लिए, नागरी संक्षोभ, विध्वंस, तालाबंदी, हडताल या अन्य मानवी अशांति, दुर्घटना, आगजनी, प्राकृतिक संकट या " दैवी घटनाएं ", युद्ध, बैंक सुविधाओं को या उसके प्रतिनिधि बैंक (कों) को नुकसान, संपर्क के सामान्य या यातायात के सभी साधनों का अभाव इत्यादि एवं अन्य) की स्थिति में, जो बैंक के नियन्त्रण से परे हैं और निर्धारित सेवा प्रदान के मापदण्डों के भीतर कर्तव्य पूर्ति को प्रतिबंधित करती है, विलंबित क्रेडिट के लिए ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करना बैंक को बाध्यकारी नहीं होगा.

10. **अप्रदत वापस आये चेकों पर ब्याज प्रभारित करना जहां तत्काल जमा दी गयी है :**

यदि उगाही में भेजा गया कोई चेक जिसके पेटे बैक द्वारा तत्काल राशि जमा की गयी है. अप्रदत वापस आ जाता है तब चेक की राशि को तत्काल खाते में नामे किया जायेगा. ग्राहक पर चेक भेजने की तारीख से चेक वापस आने की तारीख तक कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जायेगा जब तक कि बैंक से निधियों का आहरण न कर लिया गया हो. जहां लागू होगा वहां कल्पित अति आहरित राशियों पर यथालागू दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा.

यदि चेक की राशि को बचत खाते में जमा किया गया है और राशि आहरित नहीं की गयी है तब राशि पर अस्वीकृत चेक के वापस आने पर ब्याज नहीं दिया जायेगा. यदि राशि किसी ओवर ड्राफ्ट / ऋण खाते में जमा की जानी है, तब ऋण / ओवर ड्राफ्ट खाते पर लागू ब्याज दर के ऊपर 2% की दर से, जमा करने की तारीख से प्रविष्टि प्रत्यावर्तित करने की तारीख तक और जब चेक वापस आता है तब जितनी अवधि तक निधियां बैंक के पास नहीं थी, ब्याज प्रभारित किया जायेगा.

11. **नीति की समीक्षा के लिए आवधिकता**

अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष तक नीति प्रभावी होगी और संशोधित नीति के प्रभावी होने तक जारी रहेगी.